OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE :: DELHI.
POLICE HEADQUARTERS, JAI SINGH ROAD, NEW DELHI 110001.
Telephone No. 011-23746100 Extn. 69970.

(FOR PUBLICATION IN DELHI POLICE GAZETTE)

Dated 04/11 **/2026.**

No. 78205 **/CB-I (PROM. CELL)/PHQ : PROMOTION:-** The following Sub-Inspectors (Executive) whose names stand on Promotion List (Executive) with effect from 31.08.2026 are promoted to officiate as Inspector (Executive) with effect from 01.11.2026 and placed on probation for a period of two years:-

SL. NO.	NAME	RANGE NO.	PIS NO.	CAT.	C.G. NO.
1.	NARENDRA KUMAR	D-4885	28071621	SC	P-04 1126-143- 0027
2.	GIRISH KUMAR	D-4612	28060355	SC	P-04 1126-143- 0028
3.	AMRIT LAL MEENA	D-4658	16090044	ST	P-04 1126-143- 0029

They are, however, granted notional promotion in the rank of Inspector (Exe.) for the period from 01.11.2026 to one day prior to the issuance of this notification. During the period of notional promotion, they will not be entitled to draw any arrear of pay and allowances in the rank of Inspector but the period will otherwise, count towards fixation of pay, increments and seniority etc.

This notification would be subject to further orders that may be passed by the Hon'ble Supreme Court of India in the Jarnail Singh batch of cases as mentioned in DoPT's O.M. No. 36012/16/2019-Estt.(Res.), dated 12.04.2022.

04/11/26

(DR. A. KOAN) IPS
ADDL. COMMISSIONER OF POLICE:
HDQRS. (PERS.) :: DELHI.

No. 78206-78281/CB-I (Prom.Cell)/PHQ, dated New Delhi, the 04/11 /2026.

Copy forwarded for information and necessary action to the:-

1. Joint CsP/Hdqrs., New Delhi Range and Traffic, Delhi.
2. Jt. Director/DPA, Delhi.
3. DCsP/South-West district, Traffic, Vig., D.E Cell, GA, Hdqrs., I, II, III, IV IT, and Dy. Director/DPA, Delhi. The individual may also be asked to opt for choosing the date of fixation of pay on promotion, if any, under rule FR22 (I)(a)(I) and GOI's order No.17 below FR-22, as per PHQ's endst.No.14048-99/CR-II/PHQ dated 28.8.2008.
4. All ACsP & Inspectors in PHQ.
5. All ACs in CB/PHQ including I/C Computer and I/C PF Section with 03 spare copies.

कार्यालय आयुक्त पुलिस: दिल्ली
पुलिस मुख्यालय, जय सिंह मार्ग, नई दिल्ली ११०००१
दूरभाष संख्या: ०११-२३७४६१०० एक्सटेंशन ६९९७०।
(दिल्ली पुलिस राजपत्र में प्रकाशनार्थ)

दिनांक: 04/11/2026

संख्या: 78205 / **गो. शा.-I (पदोन्नति प्रकोष्ठ)/पु.मु.:पदोन्नति:-** निम्नलिखित उप-निरीक्षकों (कार्यकारी) को, जिनके नाम दिनांक 31.08.2026 से प्रभावी पदोन्नति सूची (कार्यकारी) में दर्ज हैं, दिनांक 01.11.2026 से प्रभावी रूप से निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर कार्यवाहक रूप से पदोन्नत किया जाता है और उन्हें दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है:-

क्रम संख्या	नाम	रेंज संख्या	पी.आई.एस. संख्या	श्रेणी	सी.जी. संख्या
1.	नरेन्द्र कुमार	D-4885	28071621	अ. जा.	P-04 1126-143- 0027
2.	गिरीश कुमार	D-4612	28060355	अ. जा.	P-04 1126-143- 0028
3.	अमृत लाल मीणा	D-4658	16090044	अ. ज. जा	P-04 1126-143- 0029

हालांकि, उन्हें दिनांक 01.11.2026 से लेकर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक दिन पूर्व तक की अवधि के लिए निरीक्षक (कार्यकारी) के रैंक में वैचारिक (नोशनल) पदोन्नति प्रदान की जाती है। वैचारिक पदोन्नति की इस अवधि के दौरान, वे निरीक्षक के रैंक में वेतन और भत्तों के किसी भी बकाया को पाने के हकदार नहीं होंगे, लेकिन इस अवधि को वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि और वरिष्ठता आदि के लिए गिना जाएगा।

यह अधिसूचना माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'जरनैल सिंह बैच' के मामलों में पारित किए जाने वाले आगामी आदेशों के अधीन होगी, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन (O.M.) संख्या 36012/16/2019-Estt.(Res.) दिनांक 12.04.2022 में उल्लेखित है।

04/11/26

(डॉ. अ. कोन), आईपीएस
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त:
मुख्यालय (कार्मिक) :: दिल्ली

संख्या: 78206-78281 / गो. शा.-I (पदोन्नति प्रकोष्ठ)/पु.मु.. दिनांक नई दिल्ली, 04/11/2026

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सीपी/मुख्यालय. नई दिल्ली रेंज और ट्रैफिक, दिल्ली।
2. संयुक्त निदेशक/डीपीए, दिल्ली।
3. पुलिस उपायुक्तों (DCsP)/ दक्षिण-पश्चिम जिला, ट्रैफिक, सतर्कता (Vig.), विभागीय जांच सेल (D.E Cell), सामान्य प्रशासन (GA), मुख्यालय (Hdqrs.), I, II, III, IV. IT, और उप निदेशक/डीपीए, दिल्ली। संबंधित कर्मचारी को पुलिस मुख्यालय (PHQ) के पृष्ठांकन संख्या 14048-99/CR- II/PHQ दिनांक 28.8.2008 के अनुसार, नियम FR22 (I)(a)(I) और FR-22 के नीचे भारत सरकार के आदेश संख्या 17 के तहत पदोन्नति पर वेतन निर्धारण की तिथि चुनने का विकल्प (ऑप्शन) देने के लिए भी कहा जा सकता है।
4 पुलिस मुख्यालय (PHQ) में तैनात सभी सहायक पुलिस आयुक्त (ACsP) एवं निरीक्षक।
5 गो शा./पुलिस मुख्यालय के सभी सहायक आयुक्त (ACs), प्रभारी (I/C) कंप्यूटर और और प्रभारी पी.एफ. अनुभाग (I/C PF Section) को 02 अतिरिक्त प्रतियों के साथ।